न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एंव अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 07/2018

प्रार्थी		अप्रार्थी
भूराराम गोदारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर	बनाम	लूणचन्द पुत्र अमालेक चन्द जाति जैन निवासी पाटोदी जिला बाड़मेर (फर्म मैसर्स लूणा ट्रेडिंग कं0 पाटोदी जिला बाड़मेर का मालिक)

अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii)(iv) खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011

उपस्थितः—1. सहायक लोक अभियोजक प्रथम प्रार्थी की ओर से।
2. श्री सम्पतराज बोथरा अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर (राज.)

निर्णय

दिनांक 19.6.2018

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 18.2.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर के अपरान्ह 12.00 बजे मैंसर्स लूणा ट्रेडिंग कं0 पाटोदी पहुचंने पर दुकान में एक व्यक्ति बैठा हुआ मिला, जिसका नाम व पता पूछने पर अपना नाम लूणचन्द पुत्र अलोमक चन्द उम्र 52 वर्ष जाति जैन निवासी पाटोदी जिला बा़ड़मेर (फर्म मालिक) बताया गया। दुकान का निरीक्षण करऩे पर दुकान में अन्य किराणा सामग्री के साथ रिफाईन सोयाबिन तेल (खुला) जो कि 15 किलोग्राम टीन में भरा हुआ पाया गया। उक्त रिफाईन सोयाबिन तेल (खुला) में मिलावट का संदेह होने पर रूबरू गवाह के समक्ष मालिक विक्रेता को जरिये रसीद रूपये 145/— नगद अदा कर उक्त टीन में

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

से 1600 एम.एल.ग्राम रिफाईन सोयाबिन तेल खरीदा एवं रूपयो की रसीद/केश मीमो प्राप्त की। विक्रेता व गवाह के सामने 4 लेबल तैयार किये गये उन पर डी.ओ. कोड व सीरियल नम्बर पी.745 खाद्य पदार्थ का विवरण एंव नमूना लेने का स्थान एंव दिनांक आदि विवरण अंकित किया। खरीदे हुए रिफाईन सोयाबिन तेल (खुला) को चार कांच की साफ, सुखी एवं खाली शीशीयो में बराबर–बराबर मात्रा में भरकर प्रत्येक शीशी पर एयर टाईट ढक्कन लगायां प्रत्येक शीशी पर लेबल चिपकाया जाकर प्रार्थी व गवाहो व मालिक विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। प्रत्येक नमूने को मोटे व खाखी कागज में लपेट कर इस पर पेपर स्लीप कोड एंव सीरियल नम्बर पी. 745 चिपकाकर नियमानुसार सील बंद किया। प्रत्येक नमूने पर विवरण लिख कर प्रार्थी व गवाहो ने पेपर स्लीप को क्रॉस करते हुए अपने–अपने हस्ताक्षर किये। फार्म नम्बर 5 ए भरकर गवाहो के हस्ताक्षर कराये जिसकी प्रति मालिक विक्रेता को दी गई। मौके पर ही गवाहो की उपस्थिति में मौका फर्द तैयार की गई। उक्त समस्त कार्यवाही पूर्ण करने के बाद कार्यालय आकर नमूना पी.745 जॉच हेतु खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। फार्म नम्बर 06 की सात प्रतियां तैयार की गई। नमूना सील जिसका प्रयोग सेम्पल लेते वक्त नमूना सील करने में किया गया था, एक प्रति नमूने के साथ रखकर आउटर कवर के साथ उसी ब्राससील से सील किया जिसका प्रयोग चारो नमूनो को सीलबन्द करने में किया गया एंव आउटर कवर पर नमूना विवरण अंकित किया गया एंव एक लिफाफे में फार्म नम्बर 06 की एक प्रति रखकर खाद्य सुरक्षा लैब जोधपुर का पता अंकित कर ब्राससील द्वारा लिफाफे को सील बन्द किया गया। नमूनो के शेष दूसरा, तीसरा व चौथा मय फार्म नम्बर 06 की एक प्रति आउटर कवर में ब्राससील से सील कर सील अवस्था में अभिहित अधिकारी एंव मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर को भिजवाने जाने का उल्लेख किया। प्रार्थी द्वारा परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि रिफाईन सोयाबिन तेल (खुला) की नमूना जांच रिपोर्ट फूड एनालिस्ट जोधपुर के क्रमांक एलएस/129/एक्ट/2017/128 दिनांक 28.2.2017 से अभिहित अधिकारी एंव मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार रिफाईन सोयाबिन तेल (खुला) का नमूना पी.745 प्रतिबन्धित contravenes

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

regulation no. 2.3.15 (1)(b) के तहत खुली स्थिति में विक्रय करना पाया गया। जॉच में प्रतिबन्धित contravenes regulation no. 2.3.15 (1)(b) के तहत रिफाईन सोयाबिन तेल का खुली स्थिति में विक्रय करना खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (v) का उल्लंघन होना पाये जाने के फलस्वरूप अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बाड़मेर ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया है।

2. परिवाद प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये। पत्रावली न्याय आपके द्वार कार्यक्रम मे तहत कोर्ट केम्प न्यायालय हाजा मे पेश हुई। अप्रार्थी ने निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मेरी दुकान से रिफाईन सोयाबिन तेल का सेम्पल भरा गया था, जो जांच रिपोर्ट में खुला स्थिति में विक्रय करना प्रतिबंधित होना बताया गया हैं। उक्त प्रकरण का निस्तारण लोक अदालत की भावना से न्यूनतम जुर्माना लगाते हुए किया जाए।

3. प्रार्थी की ओर से सहायक लोक अभियोजक प्रथम बाड़मेर ने बहस के दौरान् बताया कि दिनांक 18.02.2017 को जांच के दौरान् रिफाईन सोयाबिन तेल (खुला) में मिलावट होने का संदेह होने पर नियमानुसार लिया गया नमूना पी.745 फूड एनालिस्ट राज. जोधपुर की जॉच रिपोर्ट में prohibited as it contravenes regulation no. 2.3.15 (1)(b) के तहत रिफाईन सोयाबिन तेल का खुली स्थिति में विक्रय करना खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2(v) का उल्लंघन होने से अप्रार्थी पर जुर्माना आरोपित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

4. हमने उभय पक्ष की बहस सुनी। परिवाद में वर्णित तथ्यों एंव इसके संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विशलेषक जोधपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/129/एक्ट/2017/128 दिनांक 28.2.2017 का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा बेचा जा रहा खाद्य पदार्थ रिफाईन सोयाबिन तेल (खुला) का नमूना पी. 745 जॉच में प्रतिबन्धित contravenes regulation no. 2.3.15 (1)(b) के तहत रिफाईन सोयाबिन तेल का खुली स्थिति में विक्रय करना पाया गया जो खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम की धारा 26 की उप धारा 2(v) का उल्लंघन है, जिसके लिये अप्रार्थी दोषी प्रतीत होते है।

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

5. अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी लूणचन्द द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 और विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (v) का उल्लंघन किया गया है। जिसके लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 58 में प्रतिबन्धित contravenes regulation no. 2.3.14 (15) के तहत खुली स्थिति में खाद्य पदार्थ का विक्रय करना पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान है। अतः खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एंव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (v) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप तथा लोक अदालत की भावना को ध्यान में रखते हुए उक्त अधिनियम की धार 58 के तहत अभियुक्त लूणचन्द पर रूपये 2000/- अक्षरे दो हजार मात्र शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्त उपरोक्त शास्ति की राशि मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय तारीख 19.6.2018 से एक माह के अंदर-अंदर जमा कराकर रसीद प्राप्त करें।

(ओ0पी0 बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अपर जिला मजिस्ट्रेट,बाड़मेर
न्याय निर्णयन अधिकारी
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 19.6.2018 को सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अपर जिला मजिस्ट्रेट,बाड़मेर
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर